राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–515/2015/जयपुर

ऐरन आर एन्टरप्राईजेज प्रा0लि0
पुराना नाम – समुराय एन्टरटेन्मेंट प्रा.लि., 6 फ्लोर, महिन्द्रा टावर,
2ए, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–19 .....प्रार्थी.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक जयपुर प्रथम।
3. नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. कोलकत्ता। .....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राहुल जोशी, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक ..... राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.11.2016

यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त जयपुर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 13.01.2015 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) ने उप पंजीयक प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलक्टर मुद्रांक ने अपने आदेश दिनांक 13.1.15 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध रूपये 3,29,96,690/– की मांग कायम की, जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 65 के तहत कर बोर्ड में निगरानी प्रस्तुत की है, परन्तु निगरानी के साथ अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानानुसार मांग राशि की 25 प्रतिशत बाध्यकारी राशि जमा करवाने का सबूत प्रस्तुत नहीं किया है एंव ना ही प्रकरण में 25 प्रतिशत जमा की रसीद प्रस्तुत की है। उक्त कमीपूर्तियों को पूर्ण करने हेतु प्रार्थी अधिवक्ता को कर बोर्ड द्वारा नोटिस संख्या 21808 दिनांक 4.8.2015 एवं नोटिस संख्या 24061 दिनांक 24.8.2015 प्रेषित किये गये साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता को कार्यालय/समन्वय खण्डपीठ द्वारा दि. 15.4.2015, . 18.5.2015, 22.07.2015, 19.08.2015, 21.09.2015, 23.12.2015, 20.01.2016, 24.02.2016, 21.03.2016, 20.04.2016, 25.05.2016, 20.07.2016, 22.08.2016, 14.09.2016, 28.09.2016 को कमीपूर्ति करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये एंव दि. 19.10.2016 को कमीपूर्ति पूर्ण करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया। दिनांक 08.11.2016 को प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री राहुल जोशी उपस्थित हुए परन्तु उन्होंने 25 प्रतिशत जमा की रसीद प्रस्तुत नहीं की।

08/11/16

लगातार.....2.

मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 का उल्लेख निम्नानुसार है:–

65. Revision by the Chief Controlling Revenue Authority - (1) Any person aggrieved by an order made by the Collector under Chapter IV and V and under clause (a) of the first proviso to section 29 and under section 35 of the Act., may within 90 days from the date of order, apply to the Chief Controlling Revenue Authority for revision of such order.

Providing that no revision application shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of the payment of [twenty five percent] of the recoverable amount.

(2) The Chief Controlling Revenue Authority may suo moto or on information received from the registering officer or otherwise call for and examine the record of any case decided in proceeding held by the Collector for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of the proceedings and pass such order with respect thereto as it may think fit;

Provided that no such order shall be made except after giving the person affected a reasonable opportunity of being heard in the matter.

प्रार्थी अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा अधिनियम की धारा 65 के तहत मांग राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करवाने का सबूत उनको कई अवसर प्रदान करने के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में यह निगरानी कर बोर्ड में ग्रहण योग्य नहीं पायी जाती है एंव निगरानी पोषणीय (Maintainable) नहीं होने व ग्रहण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया।

08.11.16

(राजीव चौधरी)
सदस्य

8.11.2016

(मदन लाल)
अध्यक्ष